न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 19/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— नवजोतसिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 पी.एस. समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

— बनाम —

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री नायबसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.11.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.07.2015, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने दादा स्व.अजमेरसिंह पुत्र अजायबसिंह के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 53/63 एसडीएम रायसिंहनगर, ओ.एस.नं. 104/89 डीएम श्रीगंगानगर आउट साइड नं0 498/12 एडीएम सूरतगढ पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 490 व एन.पी. बोर .22 राईफल को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत दिनांक 30.8.13 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी.(एटीसी) राज. जयपुर, अति.पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशा) जोन, श्रीगंगानगर व तहसीलदार, रायसिंहनगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 704 दिनांक 28.3.14 को प्रेषित की है, जिसमें आवेदक को लाईसेंस दिया जाना "अनुचित" है, की टिप्पणी की गई, तथा गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्तें पूर्ण नहीं होने करने के आधार पर अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो एवं प्रस्तुत साक्ष्य को अपनी बहस बताया तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री नायबसिंह ने अपील मीमो में मुख्य रुप से कथन किया है कि अपीलांट ने अपने वृद्ध दादा श्री अजमेरसिंह के जीवनकाल में ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वृद्ध प्रकरण में उनके नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधिवत् आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2013 को पेश किया था। श्री अजमेरसिंह का दिनांक 02.03.2014 को देहावसान हो गया। दादा के लाईसेंस पर दर्ज शस्त्र को अपीलांट के पक्ष में दर्ज करने की सहमति स्वरूप शेष वारिसान द्वारा शपथ पत्र दिये गये हैं। पुलिस की तमाम रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में आई है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28. 03.14 के बिन्दु सं. 5 में केवल "अनुचित" लिखा, जिसका कोई आधार उन्होंने नहीं दिया और इसी रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का लाईसेन्स लेने का प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिये, जो गलत है। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने अपना माईण्ड एप्लाई नहीं किया है। शस्त्र लाईसेंस देने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को न्यायिक है, मनमाने तौर पर नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने गैर जिम्मेदारान तौर पर तमाम रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में होते हुए लाईसेंस देना "अनुचित" शब्द, जो लिखा, उसी को आधार मान कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है । अपीलांट को सुनवाई और साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य होना बताते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय दादाजी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जाता है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में अपीलार्थी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को लाईसेंस दिया जाना "अनुचित" होना अंकित किया है तथा गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं किये जाने के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस (अपील मीमो) में मुख्य कथन है कि पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में आवेदक को लाईसेंस दिया जाना अनुचित बताया है, जबकि पुलिस की समस्त रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आचरण के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक का कथन है कि लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जाता है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है, जबकि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय दादाजी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्रों को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.03.14 में स्पष्ट रूप से अपीलांट को लाईसेंस दिये जाने को अनुचित बताया है तथा पुलिस द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को जान–माल का खतरा होने संबंधी रिपोर्ट नहीं की गई है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं किये जाने के आधार पर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष कोई नवीन सबूत–साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर गौर किया जा सके।

7. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार हम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2015 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज़ दिनांक 14.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर